संख्या:-16/2019/1783 /आठ-1-19-06आडिट/2014टी0सी0

प्रेषक,

पवन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

विषय : प्रदेश के प्राधिकरणों में विभिन्न समितियों द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों को कम्प्यूटराईज्ड करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1308/आठ-1-19-06आडिट/2014टी0सी0, दिनांक 31 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके प्राधिकरण के संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों को आडिट आपत्ति लगाये जाने के समय ही कम्प्यूटराईज्ड करके उनके निस्तारण का कार्य सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच संबंधी समिति की दिनांक 06 अगस्त, 2019 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण में आडिट विभाग की जो आपत्तियां हैं, उनको अगर ऑनलाइन करा दिया जाय और पहले से इनके निस्तारण की व्यवस्था की जाय, तो बैठकों में आधे से ज्यादा प्रस्तर निस्तारित हो जायेंगे।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में कृपया अपने-अपने प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न समितियों की जो आडिट आपत्तियॉ है, उन्हें कम्प्यूट्रीकृत करते हुए ऑनलाइन किये जाने एवं आपत्ति लगने के समय से ही उनके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन भी कराने का कष्ट करें।

पवन कुमार

विशेष सचिव।